जिला जन–सम्पर्क कार्यालय, देवघर

(सूचना भवन)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

राजकीय श्रावणी मेला 2016 के अवसर पर जिला जन–सम्पर्क कार्यालय देवघर द्वारा आर० मित्रा उच्चविद्यालय परिसर में प्रदर्शनी पंडाल के भीतर 20 की संख्या में कम्प्युटर सेट का भी संस्थापन कराया जाना है। ये सभी कार्य भाड़े पर एक माह की अवधि के लिये कराया जाना है। उक्त कार्य के लिये दर निर्धारयण हेतु दिनांक 04/07/2016 को 2:00 बजे अप० तक इच्छुक निविदादाताओं से मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 04/07/2016 को 4:00 बजे अप० में उपायुक्त देवघर के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है।

नोटः– कम्प्युटर सेट की विशिष्टताओं के संबंध में आव"यक तथ्य जिले के बेवसाइट www.deoghar.nic.in पर तथा विभागीय बेवसाइट www.prdjharkhand.in पर देखा जा सकता है।

1. **कम्प्युटर से संबंधित भाड़े पर सामग्री का विवरणी**

S.L	ITEM Name and Specification	Aprox Quantity	Rate of Unit
1	**DESKTOP PC** Branded, Core i3 or i5 4GB RAM, 500 HDD; 18.5" Screen, Window 8.1 Quick heal or Reputed Antivirus	20	Per Piece per day
2	**UPS** Branded 600VA or 800 VA or 1 KVA offline UPS	20	Per Piece per day
3	**MULTIFUNCITON LASER PRINTER** Branded Network , Duplex, minimum 20 PPM	02	Per Piece per day
4	24- PORT SWITCH	01	Per Piece per day
5	Networking of the Computers and printer and high speed internet. connectivity Necessary)	01	Per Piece per month

वर्णित अनुमानित साईज या मात्रा में आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

निविदा की शर्तेः–

1. इच्छुक निविदादाता सूचना भवन देवघर में निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय अवधि तक निविदा जमा कर सकते हैं।
2. निविदा के साथ निविदादाता को 10,000/–(दस हजार)रू. का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी देवघर के नाम से भुगतेय होगा।
3. इच्छुक निविदादाता को निविदा समर्पित करते समय दो अलग–अलग लिफाफा में निविदा डालना होगा, जिसमें एक लिफाफा में **तकनीकी बीड** एवं दूसरे में **वित्तीय बीड** रहेगा। तकनीकी बीड पूर्ण रहने पर ही वित्तीय बीड खोली जायेगी।
4. निविदादाता को आयकर का स्वच्छता प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. सरकारी कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा। स्थानीय निविदादाता को दर एवं गुणवत्ता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
6. निविदादाता को सभी प्रकार के कर, परिवहन व्यय इत्यादि को सम्मिलित करते हुए दर का उल्लेख करना है। यात्रा/परिवहन के लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगी। सामग्रियों की संस्थापन एवं आपूर्त्ति आदेशित स्थल पर पहुँचाकर ससमय करनी होगी, इसके लिये उन्हें अलग से कोई राशि नहीं दी जायेगी।
7. निविदादाता को सभी सामग्रियों एवं उपस्करों की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। सामग्रियों के खोने या चोरी इत्यादि के मामले में वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. निम्न गुणवत्ता एवं कार्य में लापरवाही के कारण यदि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए संबंधित फर्म को दोषी मानते हुए उनके जमानत राशि को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जायेगी। साथ ही, उक्त कार्य हेतु समर्पित विपत्र का भी भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. निविदा के माध्यम से दर निर्धारण किए जाने के क्रम में न्यूनतम उद्धृत दरों के संबंध में सम्बद्ध पक्षों के साथ आपसी वार्ता के आधार पर दर में संशोधन करने तथा एक से अधिक निविदादाताओं को इसी आधार पर कार्यादेश दिए जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. हस्तलिखित एवं सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने या आंशिक रुप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
12. . कम्पयुटर से संबंधित सामग्री ब्रांडेड प्रमाणित होना अनिवार्य है। साथ ही, मेला समाप्ति तक सभी सेटअप का मेन्टेनेन्श करना होगा। इसके लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
13. जिला दर निर्धारण समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वोपरि होगा।

जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी
देवघर।